जल संसाधन विभाग

राजस्व प्राप्तियाँ
civil [illegible]

सत्यमेव जयते

लोक लेखा समिति-प्रकाशन संख्या-384

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-375

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (रा०प्रा०) एवं (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

उपस्थापन की तिथि......................................./

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	1-2
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय	3
3.	प्राक्कथन	5
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	5–26
5.	अनुलग्नक	27–36

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष- 2001-2002 ।

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स0वि0स0

सदस्यगण:

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स0वि0स0
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स0वि0स0
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स0वि0स0
5.	श्री शोभाकान्त मंडल,	स0वि0स0
6.	श्री गिरिधारी यादव,	स0वि0स0
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स0वि0स0
8.	श्री प्रेम कुमार,	स0वि0स0
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स0वि0स0
10.	श्री प्रभु दयाल सिंह,	स0वि0स0
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स0वि0स0
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स0वि0स0
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स0वि0स0
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स0वि0प0
15.	श्री बालदेव महतो,	स0वि0प0
16.	प्रो0 नवल किशोर यादव,	स0वि0प0
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स0वि0स0
18.	डा0 मु0 शमीम,	स0वि0प0

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगणः-

सभापतिः

1. श्री रामदेव वर्मा, स0वि0स0

संयोजकः

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स0वि0स0

सदस्यगणः

3. श्री रामचन्द्र राय, स0वि0स0
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स0वि0स0
5. श्री मुनी लाल यादव, स0वि0स0
6. डा0 मो0 शमीम, स0वि0प0

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ0 कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना ।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम0 एन0 प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस0 के0 केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे०पी० पाल, सचिव।
2. श्री ब्रजकिशोर सिंह प्रभात, उप सचिव।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है । आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान निःस्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे । आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था । देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढती गई । साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा ओर वह क्रमशः नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढाँचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौंपी है । यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक" बताया गया है । इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक 15 वर्षो के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है । समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है । इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था । इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं , कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ । इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है । अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

पटना:-
तिथि 6 मार्च, 2002

6.3.2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (रा० प्रा०)

कंडिका सं०- 1.7 असंग्रहित राजस्व- वर्ष 1990-91 के दौरान संग्रहित राजस्व तथा वर्ष के अंत तक संग्रहण के लिए लंवित बकाये राजस्व का व्योरा निम्नवत् है :-

राजस्व शीर्ष	संग्रहित राजस्व	संग्रहण के लिए लंवित राजस्व	वर्षवार विवरण	2 लाख से उपर बकाये मामले	वसूली के लिए निलामबाद के अंदर मांग
1	2	3	4	5	6
जलकर	8.32	69.87	अप्रील-1988 से पूर्व	47.34	1.17
			1988-89	6.78	
			1989-90	6.32	
			1990-91	9.43	

न्यायालय/ सरकार द्वारा स्थगित मामले	शुद्धिकरण/ पुनरीक्षण आवेदन/ दिवालीयापन में लंवित मांग	अपलेखन की प्रकिया में मांग	अन्य कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर
7	8	9	10
1.17	0.06	0.32	67.15

विभागीय स्पष्टीकरण : विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशः विभाग संग्रहण कार्रवाई पर ध्यान रखे । इस निदेश के आलोक में समिति इसे अब आगे बदलना नहीं चाहती है ।

कंडिका सं०- 1.8 : छल और अपवंचन- जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये छल और अपवंचन के मामले तथा उनके निष्पादन निम्नवत है :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रू० में)
1	1 अप्रील 1990 को लंवित मामले	21	26.88
2	1990-91 में प्रकाश में आये मामले	-	-
3	योगः	21	26.88
4.	मामले जिसमें जाँच कर निर्धारण 90-91 पूरे किये गये	7	0.72
5	31 मार्च 1991 को लंवित मामले	14	26.16

विभागीय स्पष्टीकरण : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 रा०प्रा० की कंडिका 1.8 में छल और अपवंचन का मामला दशार्या गया है । लेकिन इस तरह का कोई मामला राजस्व प्रमंडलों में नही है । अतः इस कंडिका को विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

कंडिका सं0-1.9 राजस्व की बट्टे खाते में डालना- जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान 88.050 मामलों में 32.63 लाख रूपये बट्टे खाते में डाला गया जो निम्नवत् है:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रू0 में)
1	बकायेदार का पता ठिकाना नहीं मालूम होना	36004	10.28
2	बकायेदार का जीवित नहीं रहना	30491	15.78
3	बकायेदार के पास किसी सम्पति का नहीं होना-	21555	6.57
		88050	32.63

विभागीय स्पष्टीकरण: विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहें । उक्त निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

कंडिका सं0- 1.10 वापसी- जल संसाध विभाग के अर्न्तगत जलकर की वापसी के दावे वापसी की मांग संबंधी प्राथनापत्र की प्राप्ति के 6 महीने के अदर निपटारा करना है अन्यथा 6 महीने बीत जाने पर 9 प्रतिशत की दर से उस व्याज का भुगतान करना होगा । जल संसाधन विभाग न तो पूर्णतया निपटारा कर सका और व्याज ही वसूल सका जो निम्नवत है ।

वर्ष के आरम्भ में लंवित वापसी के दावे	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	वर्ष के दौरान निपटारा किये गये दावे	वर्ष के अंत में लंवित दावे
दावे-6	2	शून्य	8
राशि-645.00(लाख रू0)	477.00	शून्य	1122.00

विभागीय स्पष्टीकरण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 की कंडिका 1.10 राजस्व की वापसी में उठायी गयी आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन राजस्व प्रशासन के अधीन 18 "अठारह " राजस्व प्रमंडल से प्राप्त हुआ है जिस का एक-एक प्रति मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है उप समाहत्ताओं ने अपने अनुपान प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि राजस्व वापसी का कोई मामला उनके प्रमंडलों में वर्ष 1990-91 में प्रकाश में नहीं आया है । प्रतिवेदन शून्य भेजा है ।

अत: अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 90-91 के कंडिका 1.10 में उठायी गयी आपत्ति " राजस्व वापसी " समाप्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

कंडिका सं0- 1.11 लंवित नीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियाँ-

(क) वित्तीय अनियमितताएँ तथा प्रारम्भिक लेखाओं में त्रृटियाँ जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान दृष्टिगोचर होता है तथा जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है, उ पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों और उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों के पास प्रेषित किये जाते हैं । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्षों और सरकार के पास तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के लिए

भेजी जाती है । इसके अतिरिक्त 6 महनों से अधिक लंवित ऐसी आपत्तियों का अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार के पास शीघ्र कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाता है । आपत्तियों की शीघ्र निपटारा हेतु लेखा परीक्षा समिति में भी समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है, जिसमें विभाग तथा लेखा परीक्षा के अधिकारीगण रहते हैं ।

दिसम्वर 1990 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों, जिनका विभाग द्वारा 30 जू 1991 तक निपटारा नहीं किया गया था, की संख्या विगत दो वर्षो के तदनुरूप आंकड़े के साथ निम्नवत हैं । :-

		जून 1991 के अंत तक
1.	लंवित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या-	397
2	लंवित आपत्तियों की संख्या	1096
3	प्राप्तियों के अर्न्तगत राशि (करोड़ रूपये में)	67.71

जून 1991 के अंत तक लंवित निरीक्षण प्रतिवेदनों और इससे संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों में अंतर्गतस्त राशि का वर्षवार व्योरा निम्नवत है ।-

	निरीक्षण सं0 प्रतिवेदनों की संख्या	लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	अर्न्तगत राशि (करोड रू0 में)
1987-88 और पहले के वर्ष	- 291	785	4.99
1988-89	- 34	93	.20
1989-90	- 45	145	7.63
1990-91	- 27	73	54.89

(ख) जल संसाधन विभाग की लेखा परीक्षा आपत्याँ असाधारण रूप से अधिक थी ।

विभाग	राजस्व शीर्ष	लंवित संख्या		सर्व प्रथम वर्ष जब से लंवित प्रतिवेदन है	अर्न्तगत राशि (करोड़ रू0 में)
		निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियाँ		
जल संसाधन	जलकर	397	1096	1980	67.71

(ग) यद्यपि सरकार ने अनुदेश दिया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर विभागीय अधिकारियों द्वारा भेज दिया जाना चाहिए, परन्तु दिसम्वर 1990 तक निर्गत 118 रिक्षण प्रतिवेदनों के विषय में प्रथम उत्तर जल संसाधन विभाग से जून 1991 तक प्राप्त नहीं हुए थे :-

विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	सर्व प्रथम वष्र जिससे लंवित प्रतिवेदन संबंधित है ।
जल संसाधन विभाग	जलकर	118	1980-81

विभागीय स्पष्टीकरण: विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: विभाग निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर समय पर भेजने हेतु सचेष्ट रहे । समिति इस निदेश के बाद इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

कंडिका संख्या- 7.1: लेखा परीक्षा के परिणाम:

वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच कर के अवनिर्धारण और राजस्व की हानि इत्यादि का पता चला जो निम्नवत् है ।

जलकर	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू0 में)
(क)सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं करने के कारण राजस्व की हानि	23	893.28
(ख) जलदर के निर्धारण में विलंब	7	523.27
(ग) अन्य मामले	42	164.96
कुल:-	72	1631.51

खरीफ मौसम में सूदकार, खसरा और खतिऔनी पूरा करने के समय सूची कमशः 25 सितम्वर, 10 नवम्वर और 30 नवम्वर है और रबी मौसम में यह कमशः 30 मार्च 10 मई और 25 मई है ।

चार राजस्व प्रमंडलों (बक्सर, औरंगाबाद,गया और भागलपुर) में 1989-90 वर्ष के दौरान सिंचित 1678326 एकड़ भूमि रब्बी- 30169 एकड़/ खरीफ- 1648157 एकड़ / के लिए वसूलनीय जलकर के निर्धारण संबंधी सूदकार खसरा ,खतिऔनी आदि तैयार करने के लिए विभिन्न आवश्यक औपचारिकताएँ निर्धारित समय में पूरी नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप 6.03 करोड़ रूपये (रब्बी फसल के लिए वर्तमान दर 20.70 रूपये प्रति एकड़ और खरीफ फसल के लिए 36.20 रूपये प्रति एकड़ की दर से गणना करने पर) की मांग नहीं की जा सकी ।

विभागीय स्पष्टीकरण : विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: विभाग राजस्व वसूली हेतु सतर्क रहे इस निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

कंडिका संख्या- 7.5 जलकर का निर्धारण नहीं होना ।

बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876 और उसके अधीन बने नियम जो बिहार में भी लागू है के अनुसार सिंचाई के लिए जलापूर्ति से लाभान्वित व्यक्तियों से निर्धारित दर पर जलकर वसूलनीय है । जलकर के अनर्धारण की प्रकिया में विभिन्न स्तरों पर अनेक औपचारिकता पूरी करनी है जैसे सिंचित भूमि की सूची तैयार करना(सूदकार)खेसरा तैयार करना)किसानवार विस्तृत माप)मांग विवरणी/ खतिऔनी/ तैयार करने के लिए आदेश निर्गत करना तथा उसके बाद खतिऔनी तैयार करना ,कृपकों को सत्यापन के लिए मांग की प्रति पर्चा भेजना, ब्योरेवार मांग और वास्तविक संग्रहण की स्थिति को अद्यतन करना । एक समयसूची निर्धारित है जिससे खरीफ फसलों के लिए जलापूर्ति 99 दिनों , (सिंचाई की तिथि से) के अदर और रबी फसलों के लिए जलापूर्ति 68 दिनों के अन्दर भुगतान किया जा सके (खरीफ और रबी फसलों की अवधि कमशः 25 जून से 25 अक्टूवर और 26 अक्टूवर से 25 मार्च है) खरीफ मौसम में सूदकार, खेसरा और खतिऔनी पूरा करने के समय सूची कमशः 25 सितम्वर 10 नवम्व और 30 नवम्वर है और रबी मौसम में यह कमशः 30 मार्च ,10 मई और 25 मई है

चार राजस्व प्रमंडलों -बक्सर औरंगाबाद, गया और भागलपुर में 1989-90 वप्र के दौरान सिंचित 1678326 एकड़ भूमि रबी- 30169 एकड़ खरीफ- 1648157 एकड़ के लिए वसूलनीय जलकर के निर्धारण संबंधी सूदकार ,खेसरा, खतिऔनी आदि तैयार करने के लिए विभिन्न आवश्यक औपचारिकताएँ निर्धारति समय में पूरी नहीं की थी इसके परिणामस्वरूप 6.03 करोड़ रूपये रबी फसल के लिए वर्तमान दर 20.70 रूपये प्रति एकड़ और खरीफ फसल के लिए 36.20 रूपये प्रति एकड़ की दर से गणना करने पर की मांग नहीं की जा सकी । कर निर्धारण के लिए प्रारम्भिक औपचारिकताएँ पूरा करने में विलम्ब के कारण निम्नवत थे:-

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र

	रब्बी (एकड़ में)	खरीफ (एकड़ में)
1. सिंचित क्षेत्र का माप और खेसरा तैयार नहीं करना	8848	448810
2. खतिऔनी तैयार नहीं करना	21321	1199347
जोड़:-	30169	1648157

लेखा परीक्षा में इसे बताये जाने पर(मई 1990 और अगस्त 1990)प्रमंडल के प्रभारी उप-समाहर्त्ता ने कहा कि(मई 1990 और अगस्त 1990के बीच) की कार्यवाही की जायेगी और माप का कार्य उचित समय पर पूरा किया जायेगा । यह तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इन मामलों में औपचारिकताओं के समापन की निर्धारित तिथि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी ।

विभागीय स्पष्टीकरण- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 90-91 (रा0 प्रा0) की कंडिका 7.5 में चार राजस्व प्रमंडल बक्सर,औरंगाबाद,गया एवं भागलपुर में मापी खेसरा एवं खतिऔनी हेतु वित 1678326 एकड़ के संबंध में उ0सं0 रा0 प्र0 बक्सर,औरंगाबाद,गया एवं भागलपुर द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त रकवा का मापी एवं कर निर्धारण का कार्य समाप्त हो चुका है और उसकी वसूली भी की जा रही है

अतः इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश: विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 90-91 जल संसाधन विभाग ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-1.15

कंडिका संख्या-1.15: राजस्व का बकाया

जलकर में संग्राहण हेतु लम्बित रकम 69.87 करोड़ रूपये थी जिसमें वसूली हेतु प्रमाणित माँग 1.17 करोड़, न्यायालय द्वारा स्थगित मांग 1.17 करोड़, पुनरीक्षण/ संसाधन दिवालिया कार्यवाही के कारण रोकी गई मांग 0.06 करोड़ तथा कार्यवाही के विभिन्न चरणें में 67.15 करोड़ थी। इस राशि में से 0.32 करोड़ रूपये बट्टे खते में डाले जाने की प्रक्रिया में थे ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।
विभाग राजस्व बकाया की वसूली की दिशा में कार्रवाई करें इस निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-1.16

कंडिका:- 1.16: निवेश एवं वापसियाँ
विभिन्न निगमों/कम्पनियों/सहकारी संस्थानों में वर्ष के दौरान रूपये 32.70 करोड़ के नए निवेश में 31 मार्च 1991 को हिस्सा पूँजी सरकार का कुल निवेश रूपये 529.93 करोड़ था । संचित निधि से निवेशित रकम परिसंपत्ति पक्ष में रूपये 514.41 करोड़ दिखलाया गया था । इसके अतिरिक्त रूपये 0.05 करोड़ एवं रूपये 15.47 करोड़ का निवेश क्रमशः राजस्व एवं आकस्मिकता निधि से किया गया था । रूपये 514.41 करोड़ में वर्ष 1989-90 के दौरान निवेशित रूपये 7.53 करोड़ सम्मिलित है, जो आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर निवेशित किया गया था, निधि में वर्ष 1990-91 के दौरान वापस कर दिया गया था । इन निवेशों को तीन सांविधिक निगमों (रूपये 92.18 करोड़) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (रूपये 234.90 करोड़) सहित 35 सरकारी कंपनियों एक परिसमाप्त कंपनी (रूपये 3.88 करोड़) सहित 10 संयुक्त पूँजी कंपनियों और बहुत सी सहकारी समितियों और बैंकों (रूपये 198.97 करोड़) में रखा गया था । गत पाँच वर्षो के दौरान इन निवेशों पर कुल रूपये 2.76 लाख का लाभांश प्राप्त हुआ था ।

विभागीय स्पष्टीकरण:
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित मामले की अद्यतन स्थिति निम्नप्रकार है:-
(1) बिहार राज्य निर्माण निगम को वर्ष 90-91 में राज्य सरकार से हिस्सा पूँजी में निवेश के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है ।
(2) निगम जो वर्ष 89-90 तक हिस्सा पूँजी के मद में 5.00 (पाँच) करोड़ रूपये तथा हिस्सा पूँजी के विरूद्ध वेज एण्ड मीन्स अग्रिम के रूप में 2.00 (दो) करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं ।
(3) निगम में वर्ष 1977-78 से लगातार हानि होती रही है । फलस्वरूप राज्य सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया गया है ।
अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

सरकार के अवर सचिव ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।
विभाग लाभांश प्राप्त करने की दिशा में ध्यान रखें । उक्त निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.2.2

कंडिका:- 2.2.2: अनुपुरक धन व्यवस्था का अनावश्यक सिद्ध होना ।
1662.99 लाख रूपये की अन्तिम बचत को देखते हुए मार्च 91 में प्राप्त किया गया 145.65 लाख का अनुपुरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।
विभाग बजट पर निगरानी रखे जिससे अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध नहीं हो इस निदेश के आलोक में इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.2.6

कंडिका:- 2.2.6: लगातार बचत पाया जाना ।
वर्ष 88-89 से 90-91 तक लगातार बचत पाया गया वर्ष 88-89 में बचत की राशि 114.69 करोड़, 89-90 में 83.35 करोड़ तथा 90-91 में 16.63 करोड़ था ।

विभागीय स्पष्टीकरण :
बचतों के निम्नांकित कारण है :-
1- निर्गत चेकों का भुगतान नहीं हो सकना ।
2- कोषागार आपत्तियों के कारण विपत्रों का पारित नही हो पाना ।
3- अंतिम क्षणों में आवंटन निर्गत होने के कारण कुछ कार्यालयों तक आवंटन पत्र नहीं मिल पाना ।
4- भू-अर्जन की प्रक्रिया में विलम्ब होना ।
5- तकीकी उलझनों के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर नही हो पाना ।

उपर्युक्त कारणों के निदान करने का विभाग द्वारा प्रयास तो किया गया है परन्तु समय सीमा के अन्दर आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो पायी ।

अब इन बिन्दुओं पर और ज्यादा सतर्कता से कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसा नहीं होने के लिए विभाग सचेष्ट है ।

उपर्युक्त कारणों के आलोक में कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:
विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.2.9

कंडिका:-2.2.9: बचतों का अभ्यर्पण ।
(ग) 16.63 करोड़ के बचत में 1.77 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया एवं 14.86 करोड़ की राशि अनाभ्यर्पित गई ।

(च) एक मुश्त अभ्यर्पण। ।

जल संसाधन विभाग अनुदान संख्या-45 के तहत चार अभ्यर्पण आदेश दिनांक 31 मार्च 91 को निर्गत किया जो 37.22 करोड़ के अभ्यर्पण से सम्बन्धित था । परन्तु यह अभ्यर्पण विनियोग लेखे के लिए नहीं लिया जा सका क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट या स्कीम की शीर्ष की चर्चा नही थी । विनियोग लेखा उप शीर्षो से तैयार होता है और इसमें उप शीर्ष नहीं दशार्या गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

अव्यवहृत राशि का प्रत्यर्पण सामान्यत: 28 फरवरी से 15 मार्च के अन्दर किये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन किया जाता है । फिर भी कुछ अप्रत्याशित कारणों यथा-चेक का भुगतान नहीं हो पाना, कोषागार से विपत्र का पारित नहीं हो सकना, एवं अन्य तकनीकी उलझनों के कारण अनुमानित राशि का व्यय संभव न हो सकने की स्थिति में 31 मार्च तक शेष राशि का प्रत्यर्पण किया जाता है ।

भविष्य में इस पर विशेष सतर्कता बरती जायेगी । अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.4.1

कंडिका:- 2.4.1: नई सेवा/ नई सेवा पर व्यय ।

अनुदान संख्या-45 में विभिन्न योजनाओं/ कार्यों पर 16294.92 लाख के एक मुस्त धन व्यवस्था में स 11580.57 लाख व्यय किए गए ।

न तो योजनाओं/निर्माण कार्यों के नाम जिसके लिए एक मुस्त धन व्यवस्था की गई थी, बजट में प्रदर्शित की गई थी, न ही ऐसे मामलों को विधान मंडल की जानकारी में अबतक लाया गया है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभाग नई सेवा पर व्यय की जानकारी भविष्य में विधान मंडल को देने की दिशा में विभाग कार्रवाई करते रहे । समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.7

कंडिका:- 2.7: बचत/अधिक्य के लिए स्पष्टीकरण का प्राप्ति नही होना ।

बचत के 11 मामले एवं अधिक्य के 32 मामलों में कारण नहीं दर्शाया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण :

बजट अधिक्य के लिये सामान्य रूप में स्पष्टीकरण निम्नांकित है:-

बचत का कारण:- प्रश्नाधीन वर्षो में प्राय: यह पाया गया है कि यद्यपि उपबंध उपलब्ध था, फिर भी वेतन मद को छोड़कर कार्य एवं यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों की निकासी पर वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में रोक लगा दी जाती थी । फलत: पूरी राशि क उपयोग वित्तीय वर्ष में नही हो पाता था ।

अधिक्य:- पिछले वर्षो में स्थापना मद के लिये आवंटन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी । मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत आदि मदों में प्राय: बढ़ोत्तरी की स्वीकृति सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाती रही, जिसका

निकासी हुई । अतः जो भी बढ़ोत्तरी है वह स्थापना मद में अधिक व्यय (जिसे रोका नही जा सकता था) के कारण है । कार्य मद में आवंटन की पद्धति को दृढ़ता से पालन किया गया था । जिसके कारण कार्य मद में सामान्यतः कोई बढ़ोत्तरी नही पायी गयी है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-2.8

कंडिकाः- 2.8: लेखा कार्यालय के आँकड़ों से विभागीय आँकड़ का समाधान नही होना ।

जल संसाधन (सिंचाई) के 187 विनियोग की इकाइयों में 47.39 करोड़ रूपये का समाधान महालेखाकार के आँकड़ों से नहीं हो सका जल संसाधन (बा0 नियंत्रण) के 2 विनियोग की ईकाइयों में 25.42 करोड़ का समाधान महालेखाकार के आँकड़ों से नहीं हो सका ।

विभागीय स्पष्टीकरणः

जिन कार्यालयों ने विगत वर्षो का लेखा समाधान नही कराया है उसे एक माह के अन्दर पूरा करने का आदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दे दिया गया है ।

लेखा समाधान (रिकॉन्सिलेशन) में अब पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है तथा मुख्यालय से भी निरन्तर मॉनिटरिंग किया जा रहा है । आशा की जाती है कि शीघ्र ही बकाया कार्य भी पूरा कर लिया जायेगा ।

उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.7

कंडिकाः- 4.7: एक फर्म को अनावश्यक वित्तीय सहायकता-104.53 लाख रूपये ।

अभियन्ता प्रमुख एवं सरकार के विशेष सचिव के द्वारा फरवरी 1990 में सिकटिया (देवघर) स्थित अजय बराज के मुख्य रेगुलेटर तथा स्ऑपलागद्वतर के रूपांकण, निर्माण,आपूर्ति एवं उसे खड़ा करने का कार्य 24 महीने के अन्दर समाप्त करने के शर्त पर 704.25 लाख रूपये की लागत पर दिल्ली स्थित एक फर्म को दिया गया । फर्म एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल,देवघर (कार्य का सीाानान्तरण सिंचाई प्रमण्डल,सिकटिया को करा दिया गया था) प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर लाभ बन्दी के भुगतान एवं प्रतिष्ठान तथा मशीन अग्रिम जो क्रमशः करार मूल्य के अधिकतम 3 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत देने की व्यवस्था थी, वैसे प्रतिष्ठान एवं मशीनरियों को सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त करना ाा, लेखा परीक्षा `ह समीक्षा से पता चला कि

(क) कच्ची सामग्री की खरीद सम्बन्धी कागजी प्रमाण उपस्थापित नहीं किए जाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियन्ता ने अनुबंध करने के दूसरे दिन ही फर्म को 21.15 लाख रूपये का मोबलाईजेशन अग्रिम दे दिया ।

(ख) साथ ही प्रतिष्ठान एवं मशीनरी की विवरणी एवं मान्य अग्रिम की राशि की गणना किए ही फर्म को 35.25 लाख रूपये का प्रतिष्ठान एवं मशीनरी अग्रिम का भुगतान भी कर दिया गया, इसे सरकार के पक्ष में ऋण स्वरूप निर्गत भी नहीं किया गया था ।

(ग) संविदा समिति द्वारा फर्म के सुरक्षित अग्रिम के भुगतान के शर्त को स्वीकृत नहीं किया गया था अभियन्ता प्रमुख द्वारा भी फार्म के प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति की सूचना कार्यपालक अभियन्ता को देते समय भी इस पर जोर दिया गया था, और फर्म के साथ हुए अनुबन्ध में भी इस शर्त्त को शामिल नहीं किया गया था । फिर भी कार्यपालक अभियन्ता द्वारा फर्म को 48.13 लाख रूपये का सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया जबकि संवेदक द्वारा इस मामलें में कार्य स्थल पर कोई सामग्री भी नहीं लाई गई थी ।

इस प्रकार अनुबंध के नियमों एवं शर्त्तों के विपरित कुल 104.53 लाख रूपये का फर्म को अनियमित एवं अनावश्यक वित्तीय सहायकता दी गई ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।

सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया के अन्तर्गत अजय बराज गेट का काम होना था जो सिंचाइ यांत्रिक प्रमंडल, देवघर को दिया गया । इसमें सम्वेदक को दी गयी अग्रिम में हुई अनियमितताओं के लिए 2 पदाधिकारियों का निलम्बित कर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलायी गयी एवं एक पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही/कार्रवाई के पश्चात् इन तीनों पदाधिकारियों को विभागीय आदेश सं0-157 दिनांक 12.6.2000, 1028 दिनांक 16.9.97 एवं 189 दिनांक 31.10.97 द्वारा दण्डित किया गया ।

3. विभाग के द्वारा इसमें क्रिमिनल केस सं0-470/96 भी दायर है तथा संवेदक के विरूद्ध टी.एस. केस सं0-99/92 भी दायर किया गया है, साथ ही संवेदक को कालीकृत भी किया गया है। संवेदक का 295 एम.टी. गेट मेटिरीयल औरगेट का सामान स्थल पर मौजूद है ।

4. अत: विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निस्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.8

कंडिका:- 4.8: परिहार्य अतिरिक्त दायित्व एवं अलाभकारी विनियोग ।

अगस्त 1982 में त्रिवेणी नहर के आर0 डी0 17029 पर साइफन सह एस0एल0आर0 पुल के पुनरोद्वारा कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को 35.98 लाख रूपये के लागत पर सौंपा गया ।

विभागीय सामग्रियों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण कार्य की समाप्ति की अवधि पूर्व निर्धारित अवधि फरवरी 1983 से विस्तारित कर जून 1985 कर दिया गया फिर भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका । जून,85 के बाद निगम ने पूर्व निर्धारित दर पर कार्य करने से इन्कार कर दिया और दरों को बढ़ाने का आग्रह किया जससे विभाग सहमत नहीं हुआ और अनुबंध को बिना दण्ड प्रावधान के बन्दर कर दिया गया, तबतक 25.27 लाख रूपये मूल्य के हुए कार्य के विरूद्ध 25.23 लाख का भुगतान कर दिया गया था । फिर 5 वर्षो के बाद जनवरी,1990 में बचे कार्य (मूल्य 10.71 लाख रूये) रूपये 26.74 लाख के पूर्व प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर 32.09 लाख रूपये के लागत मूल्य पर दूसरे संवेदक को सौंपा गया, जिसे जनवरी,1991 तक पूरा कर लिया जाना था, परन्तु निधि के अभाव में जून,1990 में कार्य को निलंबित रखा गया । संवेदक को जून,90 तक 7.23 लाख रूपये मूल्य के किए गए कार्य का पूर्ण भ्रुगतान कर दिया गया । कार्य जून,91 तक शुरू नही किया गया था । इस प्रकार निर्धारित विभागीय सामग्रियों की आपूर्ति को सुनिशित करने में विफलता एवं अपूर्ण कार्य को पुन: शुरू करने में 5 वर्षो के विलम्ब के कारण 21.38 लाख रूपये का अतिरिक्त दायित्व के सृजन के साथ ही आठ वर्षो तक में भी कार्य पूरा नही कराने के फलस्वप 32.50 लाख का अलाभकारी निवेश हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।

त्रिवेणी नहर के 170.29 पर साईफन सह एस.एल.आर. पुल के अवशेष कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को 35.98 लाख रूपया के लिए आवंटित किया गया ।

कार्य को फरवरी 83 तक पूरा कर देना था । विभागीय सामग्रियों को आपूर्ति में विलम्ब के कारण कार्य को प्रगति संतोषप्रद नहीं रहा । एकरारनामा को जून 1985 तक विस्तारित किया गया । मूल्य वृद्धि के कारण पुराने दर पर बिहार राज्य निर्माण निगम कार्य को पूरा करने हेतु तैयार नहीं हुआ ।

प्रस्तुत कार्य गंडक योजना फेज-2 के एक अंश है, गंडक योजना का कार्य वर्ष 1985 में योजना आयोग के निदेशानुसार बन्द कर दिया गया और अवशेष कार्य को गंडक योजना फेज-2 में शामिल किए जाने का निदेश दिया गया । दिनंक 20.4.2000 को बैठक मे सचिव, जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा गंडक योजना फेज-2 के कार्य को स्थगित रखे जाने का निदेश दिया गया और उसके पूर्व गंडक योजना के नहरों का पुनर्स्थापन किए जाने का निदेश दिया गया जो आजतम पूरा नहीं हो सका है । अत: प्रस्तुत पुल निम्रण का कार्य, भारत सरकार के निदेश का पालन करने के क्रम में वाधित रहा है ।

वर्त्तमान वर्ष 2001-2002 में इसे अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु नावार्ड से ऋण स्वीकृति की सूचना प्राप्त हुई है और इसके क्रम में बिहार सरकार योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त किए जाने की कार्रवाइ की गयी है,जिसके उपरान्त नाबार्ड से प्राप्त ऋणसे प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त इसे कार्यान्वित किए जाने की कार्रवाई की जानी है । वर्त्तमान में अवशेष कार्य की कुल लागत 48.15 लाख रूपये आंकी गयी है ।

जल संसाधन विभाग उपलब्ध साधनों के अनुरूप इस कार्य को पूरा करने की यथासम्भव कार्रवाई कर रही है, अत: पूर्व के व्यय (32.58 लाख रू0) को अलाभकारी निदेश कहा जाना उचित नहीं है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट है लेकिन भविष्य में विभाग इस तरह के कार्यो में आव्यश्यक सावधानी बरते, इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.9

कंडिका:- 4.9: पलामू जिले में बुटडुबा जलाशय परियोजना की दाहिना तरफ चैनेज 50 पर एक कृत्रिम जल प्रणाल/ जल सेतु के 1 से 12 वें एवं 18 से 24वें स्तम्भ का निर्माण रूपये 0.50 लाख की लागत पर वर्ष 1974-75 में पूरा किया गया जिसके रूपांकण का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहीं कराया गया था । 8 वर्षो बाद अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष रूपांकण को उपस्थापित किया गया, जब विभाग को सभी पाये में दरार आने तथा इनमें से 5 पायों (1 से 5) के नष्ट होने की जानकारी मिली तो इसी महीने में पूर्व के प्रभाव से रूपांकण (नक्शा) को अनुमोदित करा लिया गया । दरार आने के कारणों की जॉच किए बगैर पुन: बाकी बचे 5 पायों (13 से 17) का निर्माण कार्य 4.07 लाख रूपये की लागत पर मई, 1983 में एक संवेदक को सौप दिया जिसे 3.83 लाख रूपये की लागत पर मार्च 1986 में पूरा किया गया । इस बीच 5 पायों की नष्ट होने से बचाने के लिए 0.25 लाख रूपये की लागत पर दरारों को मिट्टी से भर दिया गया । क्षतिग्रस्त पायों के मरम्मति हेतु कोई बड़े उपाय किए बिना जल प्रणालों को सिंचाई हेतु खोल दिया गया जिसके फलस्वरूप 10,11 एवं 18 संख्या वाले पाये बहुत कम अन्तराल पर नष्ट हो गए, मार्च,88 में उच्चाधिकारियों के द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण एवं अन्वेषण तथा प्रशिक्षण संस्थान खगौल के द्वारा कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता की जाँच पर पता चला कि सीमेन्ट एवं बालू का अनुपात निर्धारित मात्रा से कम था, विभाग द्वारा जल प्रणाल को समाप्त मानते हुए इसी क्षेत्र में मुख्य अभियन्ता द्वारा सितम्बर 1988 में स्वीकृत

8.40 लाख की लागत पर एक साइफन निर्माण कार्य दूसरे संवेदक नवम्बर,1988 में सौपा गया जो अगस्त, 1991 तक प्रगति पर था ।

इस प्रकार बिना अनुमोदित रूपांकण कार्य शुरू करने, निर्धारित मानदण्डों को पालन नहीं करने, समय पर सुधार के उपायों को लागू नहीं करने, तथा असमय जल प्रणाल चालू किए जाने के कारण 4.66 लाख रूपये का निष्फीय व्यय हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

बूटनडूबा जलाशय के चेन सं0-50 पर अधूरे निर्मित संरचना को जॉच उड़नदस्ता से करायी गयी थी और इसे पूर्ण रूप से नक्शे के अनुरूप 5.00 लाख रू0 के खर्च पर निर्मित किया गया । यह कार्य 1988 में पूरा किया गया ।

2- 1976 के कार्यो में गड़बड़ी के लिए संवेदक से 56,315/- रू0 की वसूली की जा चुकी है ।

3- अतः सम्यक कार्रवाई की गयी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.10

कंडिका:- 4.10: बाढ़ नियंत्रण कार्य पर निष्फल व्यय

बक्सर कोईलवर गंगा बांध के चेनेज 1658 से 167 तक बाढ़, नियंत्रण कार्य, जिसमें भोजपुर जिले के मिरचैया गाँव में सूईया भांगर नदी के आर-पार मिट्टी के बांध का निर्माया भी शामिल था, की प्रशासनिक स्वीकृति 51.01 लाख रूपये की लागत पर सरकार द्वारा 1974 में दी गई जिसे दो समूहों में बांटकर पूरा किया जाना था । एक समूह से सम्बन्धित निविदाओं के निपदाने में विलम्ब होने के कारण कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,ब्रहमपुर द्वारा इस कार्य को कुल 42.10 लाख रूपये की लागत पर एक संवेदक को मार्च एवं अगस्त 1981 में ही सौंपा जा सका जिसे जून 1982 तक पूरा कर लिया जाना था ।

जब 34.84 लाख रूपये को कार्योपरान्त भुगतान भी कर दिया गया था तब बांध निर्माण हेतु स्थल चयन की जाँच बिहार बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा किए जाने के आधार पर आगे के कार्य निलम्बित कर दिया गया । समिति की जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं मुख्य अभियन्ता सिंचाई,डिहरी की पहल पर फरवरी, 1984 में उसी कार्यस्थल पर शुरू किए गए कार्य को कार्यस्था/ल को स्थिति अत्यन्त कठिन होने के कारण अप्रैल, 1984 में संवेदक द्वारा कार्य बन्दर कर दिया गया । तब तक 4.41 लाख रूपया मूल्य का कार्य हो चुका था और भुगतान नहीं किया गया था । मई, 1984 में मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता, बक्सर द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि चेनेज 1659.5 से 1666 के बीच का भाग स्थापना स्थल पर गोला होने के कारण नदी एवं उसके किनारों पर धंसने लगा था, जिस कारण उसका उपरी भाग मिट्टी को फैला एवं बांध के आधार की पूरी चौड़ाई में जल अच्छादित एवं संविदिक मिट्टी को विभिन्न स्तर पर भरने का निर्देश दिया । उसके बाद भी बांध के गिरने के कारण की जाँच नहीं की गई । कार्यपालक अभियन्ता द्वारा इन निर्देशों को कार्यान्वियन नहीं किए जाने का कारण लेखा परीक्षा को अनुपलब्ध रहा । तत्पश्चात् नवम्बर, 1986 में बांध के आधार को ठीक करने के किसी बड़े उपाय न किए जाने के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता ने संवेदक द्वारा छोड़े गए, 2.85 लाख रूपये के कार्य को पुनरीक्षित प्राक्कलन 28.06 लाख रूपया पर तीन दूसरे संवेदकों को 32.31 लाख की लागत पर सौपा । प्राक्कलन के अतिरिक्त गिला मिट्टी को हटाने पर किए गए व्यय 6.97 लाख रूपया हित कुल 39.28 लाख का कार्य करने के बाद संवेदक ने कार्य स्थल की कठिन स्थिति के कारण कार्य

बन्द कर दिया, इसलिए जुलाई, 1988 में मुख्य अभियन्ता-1।। मास्टर आयोजन (सिंचाई) की अध्यक्षता मे सरकार द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा अगस्त, 1991 तक वर्तमान स्थल पर बांध निर्माण की उपयोगिता से सम्बन्धित प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका था ।

कार्य के दौरान समय-समय पर मापी न कर जून, 1984 में मूल संवेदक द्वारा किए गए कार्य की अंतिम मापी से पता चलाकि पीटमापी के आधार पर किए गए भूकार्य 27.95 लाख घनफीट के विरूद्ध गडढ़ा मापी के आधार पर मात्र 20.25 लाख घनफीट कार्य ही किए गए थे जिसे संवेदक द्वारा अस्वीकार किया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

बक्सर -कोईलवर तटबंध के चेन सं0 1658 से 1671 तक भोजपुर जिला के मिरचैया गाँव में सुइयाभागर गाँव के पास बांध निर्माण कयसे लिए 1974 में 51.01 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और संवेदक को 42.10 लाख का लागत पर 1981 में कार्य आवंटन किया गया, जिसके अनुसार कार्य को जून, 82 तक पूरा करना था । जून,84 तक 34.84 लाख का कार्य कराया गया था और भुगतान कर दिया गया था ' मई,84 में निरीक्षण के क्रम में चेन 1659.5 से 1666 के बीच का भाग में बांध में दरार पड़ गया और बांध धंस गया ' मई,84 में तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया । मुख्य अभियंता के द्वारा तकनीकी पहलुओं पर विचार कर निदेश दिया गया कि बुलडोजर की सहायता से बांध की मिट्टी को फेला दिया जाय और बांध के आधार की चौड़ाई को बढ़ा दिया जाय । तत्पश्चात नवम्बर,86 में बांध के आधार को बढ़ाकर कार्य कराया गया और कुल रूप्ये 39.24 लाख का भुगतान किया गया ' इसी बीच वर्ष 82 के कार्यो के लिए संवेदक द्वारा एक दावा दायर किया गया जिसमें 23.36 लाख का भुगतान दावा के आधार पर किया गया । इस मामले में विभाग उच्चतम न्यायालय तक गई परन्तु न्यायालय द्वारा संवेदक के दावा को मान्य रखा गया (सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न) । यह सही नही कि पुराने संवेदक को उँचे दर पर वर्ष 86-87 में कार्य आवंटन किया गया । वास्तव में वर्ष 80-81 के दौरान 49.53 लाख की प्राक्कलित से 15 प्रतिशत कम दर पर संवेदक को 42.10 लाख की लागसत पर कार्य आवंटन किया गया और वर्ष 86-87 में पुन: निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 30.65 लाख के कार्य में 16.47 लाख का कार्य निविदा के उपरान्त संवदक को अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत अधिक दर पर एवं 14.18 लाख रूप्ये के कार्य को ाा एक अन्य संवेदक को अनुसूचित दर से .50 प्रतिशत से कम दर पर आवंटित किया गया जिसकी एकरारित राशि 10.64 लाख एवं 3.55 लाख क्रमश: है ।

बॉं धंसने का कारणों का तकनीकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जाँच प्रतिवेदन निम्नप्रकार है :-

1. बॉंध की उँचाई लगभग 48 फीट है इसे एक छोटा डैम कहा जायेगा । बॉंध जिस भाग मे धंस रहा है वहाँ की मिट्टी दलदली है ।

2. आई0आर0आई0, खगौल, पटना को मिट्टी जाँचने से पता चला कि स्थल के कुछ भाग मे बियरिंग प्रेसर 0.11 से 0.33 टन प्रति वर्गफीट 50 फीट की गहराई में भी है ।

3. निर्माणाधीन स्थल पर जमीन का धंसना और बगल के स्थल पर जमीन का उठ जाना, इस बात का प्रमाण है कि सब-स्वाल में जो पानी है उसे निकलने का कोई रास्ता मिट्टी के फाईडनेस के बजह से नहीं है ।

जाँच समिति द्वारा बॉंध के डिजाईन हेतु केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली से जाँच का सुझाव दिया गया । उक्त सुझाव के आलोक में सी.एस.एम.आर.एस. एवं सी.डबलू.सी. के टीम द्वारा दिनंक 11.5.2000 को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया । टीम द्वारा मिट्टी के कुछ और जाँच करने की आवश्यकता बतलायी गयी, जिसे बाद में सी.एस.एम.आर.एस. के द्वारा कराया गया । जाँच के बाद कथित भाग में बॉंध के निर्माण से संबंधित रूपांकण आँकड़ा एवं मिट्टी जाँच प्रतिवेदन, डिजाइन हेतु केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली को

भेजा दिया गया । अतः इस भांगर जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता की जॉच की गई और वर्ष 86-87 के बीच 39.38 लाख रूपये का कार्य कराकर जो व्यय किया गया यह व्यय निष्फल नही है चूँकि कार्य मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में तकनीकी विन्दुओं पर लिये गये निर्णय के आलोक में किया गया था ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।
विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.11

कंडिका:-4.11: श्रम घटक के गलत निरीक्षण के कारण परिहार्य अतिरिक्त दायित्व ।
दर समिति के क्षेत्रीय अनुसूची कके अनुसार काबिना (निगरानी) विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के द्वारा विभिन्न काम के दर निर्धारण तथा निपटारे के लिए मार्ग दर्शन निर्गत किए गए थो बोल्डर द्वारा बाढ़ बचाव कार्य में इस्तेमाल किए जाने योग्य 10 जालीदार कलई युक्त लोहे से बने केटस, प्रत्येक का तल क्षेत्रफल 210 वर्ग फीट (आयाम 5"× 5"× 8")यानि कुल 210 वर्ग फीट के निर्माण पर तिरहुत दर सूची के आधार एक श्रम घटक पर 7 लोहार तथा 9 मजदूर को दिया गया था । मार्च, 1987 में दर समिति के क्षेत्रीय अनुसूची में प्रत्येक केट की ऊँचाई घटाकर मात्र 2 फीट कर दिया गया फलस्वरूप तल क्षेत्रफल 210 वर्ग फीट से घटकर मात्र 90 वर्ग फीट रह गया । परन्तु न तो श्रम घटक को फिर से सय किया गया और न ही कम ऊँचाई वाले केटस के निर्माण के लिए प्रयास ही किया गया ।

कार्यपालक अभियन्ता,मुजफ्फरपुर सिंचाई प्रमण्डल (यांत्रिक) द्वारा वर्ष 1986 से 1990 के बीच कम की गई ऊँचाई वाले केटस के निर्माण के लिए ठीकेदारों द्वारा प्रभावित 15 प्रतिशत के बट्टा सहित 31.20 रूपया प्रति वर्ग फीट (अप्रैल 87 से 31.40 रूपया प्रति वर्ग फीट) का दर अधीक्षण अभियन्ता से पारित करवाया गया । 31.20 रूपया प्रति वर्ग फीट की दर से कुल 900 वर्ग फीट तल क्षेत्र वाले 10 केटस के निर्माण के लिए एक श्रम घटक में 6 लोहार तथा 9 मजदूर को, एवं 31.40 रूपया प्रति वर्ग फीट की दर से कुल 1700 वर्ग फीट तल क्षेत्र वाले 10 क्रेट्स के निर्माण के लिए एक श्रम घटक में 10 लोहार तथा 11.5 मजदूर को लिया गया ।

अभियन्ता प्रमुख ने तकनीकी परीक्षक कोषांग को यह बताया कि 100 वर्ग फीट केट्स के निर्माण के लिए 15.85 रूपया से ज्यादा, वैसे श्रम घटक जिसमें 2 लोहार तथा 3 मजदूर है, नही की जानी चाहिए । वैसे भी निर्धारित दर अनुसूची के अनुसार एक तरह के विभिन्न कामों जिसमें कुल 600 वर्ग फीट तल क्षेत्र वाले कलई युक्त जाली दार केट का दर निर्धारित था । यह जून 1990 में तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा पारित किया गया था ।

इस प्रकार 15.85 रूपया प्रति 100 वर्ग फीट की गणना पर पारित वर्ष 1986 से 1990 के दौरान कुल 318.65 वर्ग फीट केट्स के निर्माण पर काफी अधिक दर भुगतान किए जाने के कारण 22.31 रूपया का अतिरिक्त अनुमानित दायितव का भार बढ़ा ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।
सिंचाई प्रमंडल (यांत्रिक), मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 1986 से 1990 के बीच जो भी बी.ए. वायर के क्रेटस बनाये गये है, इनका साइज 5x5x5 है न कि 5x5x8 जैसा की प्रतिवेदन में दर्ज है ।

तिरहुत अनुसूचित दर जो 6 नवम्बर 1985 में प्रकाशित की गई थी इसके पृष्ठ से 214 (कंडिका-14.31) के दर विश्लेषण के आधार पर 5x5x2 के आकार वाले 10 क्रेट वाक्स के निर्माण पर रू0 30.70 प्रति 100 वर्गफीट तलक्षेत्र का दर आता है ।

सिंचाई प्रमंडल (यांत्रिक) मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 1986 से 1990 के दरम्यान उक्त दर विश्लेषण के आधार पर ही 31.20 रूपये प्रति 100 वर्गफीट के दर से क्रेट निर्माण हेतु भुगतान किया गया है ।

जून 1990 से लागू अनुसूचित दर 15.85 रू0 प्रति सैकड़ा वर्गफीट के आधार पर इससे पूर्व की अवधि में कराये गये कार्य में भुगतान (उस समय के अनुसूचित दर के आधार पर) की राशि को अधिक नहीं माना जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त क्रेट वाक्स के निर्माण में जाली की साइज (4'' मेस अथवा 6'' मेस) पर निर्माण लागत आधारित होता है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभाग के उत्तर को देखने से समिति संतुष्ट है और इस कंडिका को निष्पादित मानती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.12

कंडिका:- 4.12: सिंचाई योजना पर निष्फल व्यय ।

भागलपुर जिले में बटेश्वर स्थान पम्प कैनाल चरण-2 के निर्माण के लिए सितम्बर 1970 में 297.10 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई । तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति नही होने के वावजूद भी कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिसम्बर 80 में 22 लाख रूपये की लागत पर प्रस्तावित शून्य से लेकर एक आर0 डी0 के कुछ काम को बिहार स्टेट कन्ट्रक्सन कारपोरेशन को दिसम्बर 82 तक पुरा करने हेतु दे दिया गया । निगम ने 6.74 लाख रूपये प्राप्त कर कार्य को जून 82 तथा दिसम्बर 82 में निलंबित कर दिया । मई 85 में इस कार्य की नापी से यह पता गया कि इस कार्य में 2.59 लाख रूपये मूल्य का अधिक भुगतान कर दिया गया था । जिसकी वसूली निगम से नहीं की जा सकी ।

जनवरी 88 में कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पुनरीक्षित जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा नहर निर्माण मुख्य नहर फेज-1 के आर0डी0 4.1 पर से शुरू करने की स्वीकृति दी । इस तरह पूर्व में किए गए कार्य का परित्याग करना पड़ा । मुख्य अभियन्ता द्वारा पुनरीक्षित जाँच प्रतिवेदन की स्वीकृति के बाद वर्ष 89-90 के दरम्यान तीन नलियों का काम तीन विभिन्न अभिकरणों को 51.75 लाख की लागत पर दिया गया जो मार्च 90 तक आंशिक रूप से कार्य हुआ । एक अभिकरण को 11 लाख रूपये काअमूल दायित्व के अलावा कुल 3.54 लाख रूपए का भुगतान किया गया । इसके बाद परियोजना के काम को निधि के आवंटन के कारण वर्ष 90-91 तथा 91-92 में कर दिया गया

पहले किए गए कार्य पर 4.15 लाख रूपए का व्यर्थ व्यय किया गया । यह 6.74 लाख रूपए भी हो सकता है अगर 2.59 लाख रूपए की वसूली बिहार स्टेट कन्ट्रक्सन कारपोरेशन से नही की गई ।इसके अलावा 3.54 लाख रूपए का भी निष्फल व्यय किया गया यह 14.54 लाख हो सकता है अगर 11 लाख रूपये के अमूल दायित्व को जोड़ा जाय ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।

बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना चरण-1 की मूल योजना प्राक्कलन 1387.75 लाख रूपये के लिए वर्ष 1975 में स्वीकृत हुआ था तथा दूसरी योजना बटेश्वर स्थान गंगा एवं नहर योजना चरण-11 की स्वीकृति 297.10 लाख रूपये के लिए वर्ष 1978 में दी गई थी जिसके द्वारा बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना के प्रथम चरण में बचे निचले स्तर से जमीन की सिंचाई प्रस्तावित थी । चरण-11 योजना अन्तर्गत जल आवश्यकता 172 घनफीट थी जिससे अगले पम्पिंग स्टेशन एवं पमप के माध्यम से प्राप्त करना था । इस योजना का पम्पिंग स्टेशन चरण-1 में पम्पिंग स्टेशन के समीप ही प्रस्तावित था ।

अपने अपने स्वीकृत प्रावधानों के अन्तर्गत काम्र प्रारंभ हुआ लेकिन विभिन्न कारणो सं 1985 तक कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी रही । कहलगा।व अवस्थित सुपर थर्मलपावर स्टेशन के वाह्य जलश्राव का इस्तेमाल इन योजनाओं के लिए किया जाय अन्यथा नहीं । वर्ष 1985 के अंत में यह निर्णय लिया गया कि इसका इस्तेमाल नही किया जायगा । तबतक श्रम शक्ति एवं सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण योजना की पुनः पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा गया । इस समय तक मुख्य नहरों के समीप एन.टी.पी.सी. द्वारा निर्माणाधीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन आदि का निर्माण किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप बटेश्वरस्थान फेज-11 योजना के प्लानिंग पहलू पर पुन: विचार करना आवश्यक हो गया । तदोपरान्त दोनों योजनाओं का नये सिरे से पुन: अन्वेपण कर विभिन्न तकनीकी एवं अन्य वित्तीय पहुलुओं पर भली भाँति विचारोपरान्त दोनों योजनाओं की पुनः पुनरीक्षित किया गया, जिसके अगला चरण, चरण-1 का योजना कुल प्राक्कलित राशि रूपये 1,09,280.60 लाख एवं फेज-11 का योजना राशि 2046.74 लाख रूपये के लिए तैयार की गई ।

चरण-11 की पुनरीक्षित योजना के तहत एक अलग पंपीग स्टेशन तथा मुख्य नहर की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी तथा चरण-1 योजना के मुख्य नहर बिन्दु दूरी 5.1 से चरण-11 मुख्य नहर से निकालने का प्रस्ताव दिया गया । इन दोनों योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्ष 1990 में राज्य सरकार के माध्यम से जल आयोग को भेजा गया ।

इन पुनरीक्षित परियोजना के खर्च में अयधिक मितव्ययिता हुई है साथ ही साथ पूर्व की तुलना में सिंचाई सुविधा में कमी नही आयी है । मूल योजना की अपेक्षा कोई कमी नही हुई है । जहाँ तक वर्ष 1986 के पूर्व विहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराये गये कार्य पर व्यय का प्रश्न है यह बहुत छोटा खर्च है । यदि पूर्व में मूल प्राक्कलन के अनुसार कार्य लिया जाता तो इन बदली हुई परिस्थिति से जिनका उल्लेख उपर दिया गया है वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से इसपर अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता एवं कार्यान्वयन की दृष्टि से भी इसमें अनेकों प्रकार का कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

विहार राज्य निर्माण निगम को बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना के मुख्य नहर के 0 से 0.30ए एवं 0.30 से 1.00 बि0द0 के बीच मिट्टी कार्य के एकरारनामा के विरुद्ध अधिक भुगतान की राशि रूपया 2,59,851.00 में 1,40,623.00 रूपये की वसूली अन्य एकरारनामें की जमानत राशि एवं कीप बैंक की राशि से कर लिया गया है । शेप 1,19,228.00 की वसूली निगम की विपत्रों से किये जाने हेतु आदेश दे दिया गया है ।

शून्य से 1.00 आ.डी. के बीच मुख्य नहर के रेखांकण में परिवर्तन ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए कार्यहित में किया गया था । इस भाग में पूर्व के रेखांकरण के आधार पर किये गये कार्य के लिए निर्माण निगम को भुगतान की राशि रूपया 6,74611.00 में उपर्युक्त अधिक भुगतानकी राशि 2,59,851.00 की वसूली के पश्चात 4.15 लाख रूपये का व्यय रेखांकण में परिवर्तन के कारण हुआ । यह व्यय जनहित एंव कार्यहित में नहर के रेखांकरण में परिवर्तनके कारण किया गया है ।

गंगा पम्प नहर योजना चरण-11 का कार्य पुनरीक्षित योजना प्राक्कलन (1989) के आधार पर पुनरीक्षित अनुशंसा प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, भागलपुर से स्वीकृत के उपरान्त वर्ष 1990-91 में प्रारंभ की गयी ।इस हेतु तीन एकरारनामा 17 एफ 2, 21 एफ 2, एवं 22 एफ 2 वर्ष 1989-90 किये गये थे । उनके पुरा किये गये लम्बित भुगतान की अनुमानित लागत तत्कालीन कार्यपालक अभिंता ने अपने पत्रांक 431 दिनांक 26. 6.91 में महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 98/90-91 में किये गये पृच्छा के उतर में 11.00 लाख रूपये का उल्लेख किया था । वास्तव मे सृजित दायित्व की राशि 11.00 लाख रूपये का प्रश्नोत्तर है । वास्तव में सृजित दायित्व की राशि इससे बहुत कम है । उकत तीनों एकरारनामों में एकरारनामा संख्या 21/एफ 2 का अंतिम भुगतान विभागीय आदेश के आलोक में वर्ष 1993-94 में ही भुगतानकिया जा चुका है । एकरारनामा संख्या 21/एफ 2 में शंभू कंस्ट्रक्शन के 1,34,836.00 तथा 22/एफ 2 चित्रगुप्त कंन्स्ट्रक्शन का 48,951.70 का भुगंतान किया जा चुका है । अत: अब केवल एकरारनामा संख्या 17/एफ 2 का लम्बित सृजित दायित्व का भुगतान 1,88,716.00 रूपये लम्बित है जिसके संबंध में इस प्रमंडल से सृजित

दायित्व प्रतिवेदन पूर्व में विभाग को समय समय पर भेजा गया है तथा पुन: इस कार्यालय का पत्रांक 194 दिनांक 10.4.90 के द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को समर्पित किया गया है (दायित्व प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है) ।

बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना फेज-11 की मूल योजना को प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के उप सचिव; सिंचाई विभाग के पत्रांक 7984 दिनांक 7.9.78 द्वारा 297.10 लाख के लिए प्रदान की गयी थी तथा मुख्य नहर के वि.दू. 0.00 से 5.00 तक इस योजना के मिट्टी कार्य तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 3628 दिनांक 23.9.90 द्वारा दी गयी थी । पुनरीक्षित योजना प्रतिवेदन (1989) की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार से प्राप्त नही हुई है । योजना अभी. केन्द्रीय जल आयोग को राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट है इसलिए विभाग के उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है। इस कमेंट के साथ कि जनविरोध शब्द उचित प्रतीत नही होता है । प्रशासन का सहारा लेकर आइंदे काम तत्परता से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में अच्छी खासी राशि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.13

कंडिका:- 4.13: गलत माप के कारण अधिक भुगतान ।

बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ब्रह्मपुर द्वारा वर्ष 85-86 में बक्सर कोइलवर गंगा बांध के एक भाग का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को दिया गया जिसे मई 88 में पुरा किया गया । मई 1985 में काम की अंतिम मापी कर सितम्बर 88 में ठेकेदार को अंतिम भुगतान 11.28 लाख रूपए का किया गया तथा उसका सुरक्षा जमा राशि भी वापस कर दिया गया । अप्रैल 90 में जाँच के दौरान पाया गया कि बांध के 275.50 से 282.30 श्रखला के बीच रिक्त स्थान था जिसका कार्य नहीं हुआ था. और भुगतान हो गया था । इसमें 1.74 लाख रूपए का अधिक भुगतान पाया गया । इसके लिए एक जाँच समिति गठित की गई जाँच पड़ताल का काम लम्बित रहा तथा प्रमण्डल ने जनवरी 91 में बांध के रिक्त स्थान को भरने के लिए 4.17 लाख रूपए का प्राक्कलन तैयार किया जिसे अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत नही किया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण ।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ब्रहम्पुर के अधीन पश्चिमी गांगी बांया तटबंध के चेन सं0 235 से 285 के बीच एवं 277.45 से 280 के बीच कार्य नहीं कराया गया और गैप रह गया । इसपर 87.324.00 रूपया का अतिरेक भुगतान संवेदक को हो गया । इसके लिये तीन पदाधिकारियों (कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता) के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी एवं निम्न रूप से दण्डित किया गया :-

क- निन्दन (87-88)

ख- 29,100.00 रूपया की वसूली ।

अत: विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की गई है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.14

कंडिका:-4.14: स्टाप लौग गेट एवं ओभर हेड केन की अविवेकपूर्ण खरीदारी ।

पलामू जिले के बताने जलकुंड परियोजना केतहत लोडिया स्थित पीकअप बैरेज के लिए ओभर हेड केन एवं स्टाप लौग गेट की आपूर्ति हेतु अधीक्षण अभियन्ता निर्माण अंचल, डाल्टेनगंज द्वारा जून 86 में दिल्ली स्थित एक फर्म को 18.98 लाख रूपए यित मूल्य एवं 4 प्रतिशत बिकी कर पर आदेश निर्गत किए गए थे । उक्त फर्म द्वारा केन एवं स्टौप लौग गेट की आपूर्ति अगस्त 87 तक की गई तथा फर्म को 16.52 लाख रूपए का भुगतान अगस्त 87 में ही किया गया । फर्म ने गिडर्स के निम्न भार वहन क्षमता के कारण केन को खड़ा नहीं कर सका । गिर्डरों के भार वाहन की क्षमता तथा उनके बीच की दूरी को ध्यान में नहीं रखा गया था तथा नवम्बर 84 में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, डाल्टेनगंज द्वारा गिर्डर्स के बीच की परिरूपित दूरी 3 मीटर से घटाकर 2 मीटर कर दी गई थी । इसी बीच सितम्बर 87 में प्रमण्डल ने (बताने शीर्ष कार्य प्रमण्डल,हरिहरगंज) गिर्डर्स की खराबियों को ठीक करने के लिए उसी फर्म द्वारा केन की आपूर्ति की थी, को आदेश देकर निष्फल प्रयास किया था ।

फर्म ने यह कहकर इंकार कर दिया कि गिर्डर दूसरे एजेन्सी द्वारा निर्गत किए गए थे प्रमण्डल द्वारा वह एजेन्सी जिसने गिर्डर्स की स्थापना की थी इसके गिर्डर्स की कमियों को दूर करने के लिए किए गए अनुरोध भी बेकार गए क्योंकि इस संदर्भ में अगस्त 1987 तक फर्म द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया । इन परिस्थितियों में अक्टूबर 91 तक भी केन तथा स्टाप लौग गेट को खड़ा नहीं किया जा सका तथा वह निर्माण स्थल पर पड़ा रहा ।

केन तथा स्टाप लौग दरवाजे की प्राप्ति गिर्डर्स की भार वहन क्षमता को जाने बिना तथा यह निर्धारित किए बिना कि गिर्डर्स के परिरूपण तथा रूपांतरण के संदर्भ में स्थापित किया जा सकता था । इसके फलस्वरूप 16.52 लाख रूपये केन तथा स्टॉप लौग दरवाजे के उपर 5 वर्षो से भी अधिक निष्क्रिय रहे ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज में बराज के लिए गैन्ट्री क्रेन की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु 13.75 लाख रू0 एवं स्टौप लौग गेट के लिए 5.22 लाख रू0 का एकरारनामा वर्ष 86-87 में किया गया है । इसमें 4 पदाधिकारी (2-का0अ0, एक स0अ0 (यांत्रिक) एवं एक कनीय अभियंता, (यॉ0) के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी । उन पर निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :-

(क) बराज यसके लिए गैन्ट्री क्रेन एवं स्टौप लौग गेट की आपूर्ति लेने के बाद इसका अधिष्ठापन नहीं करने के लिए एवं आपूरित सामग्रियों को समुचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करना ।

2- इन 4 पदाधिकारियों को निम्न आदेश संख्या से दंडित किया गया है:-

क्रमांक	पदनाम	दंडादेश संख्या	दिनांक
1	कार्यपालक अभियंता	661	30.6.97
2	कार्यपालक अभियंता	704	05.10.99
3	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	727	30.10.99
4	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	756	30.10.99

सरकार के विशेष सचिव ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशः
विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-4.15

कंडिका:-4.15: संविदन के बाहरी शर्तो पर अदेय भुगतान ।
गुमला जिला के कांसजोड़ जलाशय परियोजना के एक घटक के भूमि खोंई के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियन्ता,जल मार्ग प्रमण्डल संख्या-1, सिमडेगा ने सितम्बर 87 में 34.25 लाख रूपया की लागत पर एक ठेकेदार को सितम्बर 87 में कार्य करने के लिए दिया जिसे मार्च 1989 में पूरा किया जाना था ।

एकरारनामा के अनुसार सर्वेक्षण एवं जाँच के पश्चात् इसमें 76675 घन मीटर मिट्टी भरवानी थी तथा मिट्टी का पूरा परिमाण स्वीकृत मुख्य योजना पर आधारित शीर्ष वजन (माथें पर) के द्वारा बौरोपिट से ढुलाई की जानी थी । अगर मिट्टी बौरोपिट से नही प्राप्त हो सके तो इसे यांत्रिक विधि से दूसरे बौरोपिट से भी लेने का प्रावधान था । मिट्टी का दर शीर्ष वजन से 140.30 रूपया प्रति 10 घन मीटर तथा यांत्रिक विधि से 298.40 प्रति 10 घन मीटर िाा । परन्तु यांत्रिक विधि से मिट्टी केवल 40 प्रतिशत यानि 30670 घन मीटर ही लेना था ।

अगस्त 91 तक कार्य प्रगति में था तथा नवें रनिंग बिल में 42.11 लाख रूपये का भुगतान हो चुका था एवं कार्य पूरा नहीं हुआ था ।

परन्तु लेखा परीक्षा के दरम्यान यह पता चला कि, 76675 घन मीटर मिट्टी जगह पर 128900 घन मीटर मिट्टी निकाला गया, यह 68 प्रतिशत अधिक िाा । इसमें मात्र 2000 घन मीटर मिट्टी शीर्ष वजन से तथा 1,26,900 घन मीटर मिट्टी यांत्रिक विधि से ढुलाई किया गया जिसकी अनुमति कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दी गई थी परन्तु इसका कारण कार्यपालक अभियन्ता द्वारा नही बताया गया । इसका पुनरीक्षित लीड प्लान नहीं बनाया गया और नहीं इसके फेर बदल की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता से ली गई । ठेकेदार को 1,28,900 घन मीटर मिट्टी के लिए 380.15 लाख रूपये का भुगतान किया गया, (1,26,900 घन मीटर का 89.40 रूपया प्रति 10 घन मीटर एवं 2000 घन मीटर का 140.30 रूपया प्रति 10 घन मीटर की दर पर) जिससे ठेकेदार को 6.96 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण
कंसजोर जलाशय योजना में कंसजोर नदी पर गुमला जिला के सिमडेगा ब्लॉक में एक बांध तथा दो मुख्य नहरों के माध्यम से खरीफ में 6064 हे0 तथा रब्बी में 226 हे0 सिंचाई प्रस्तावित है । यह योजना मूल प्राक्कलित राशि 866.60 लाख (1979) के लिये प्रारम्भ की गई थी जिसपर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त है ।

इस योजना पर कार्य वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ किया गया परन्तु कार्य प्रारम्भ होने पर यह पाया गया कि कुवांग के 25 परिवार डूब क्षेत्र में पड़ते है । जिसके कारण डाइक के रेखांकण को परिवर्तित किया गया जिससे बांध की उचाई 55 से0 मीटर एवं लम्बाई में 120 मीटर की बढ़ोत्तरी हो गई । पूर्व के बी.ओ.क्यू. में सी.ओ.टी. सैन्ड ब्लैकेट एवं चिमनी तथा एक अतिरिक्त स्ट्रीपिंक का प्रावधान करना पड़ा । इसलिए पूर्व के स्वीकृत डाइक के बी.ओ.क्यू. में मिट्टी कार्य 76675 घन मीटर के स्थान पर 154100.00 घन मीटर हो गई ।

पूर्व के स्वीकृत प्राक्कलन में हैड लोड से 46005 तथा 30670 घन मीटर मिट्टी यांत्रिक विधि से एक किलो मीटर तथा यांत्रिक विधि 1.27 लाख घन मीटर मिट्टी लाया गया । इस संबंध में अनियमितताओं की जांच उड़नदस्ता से कराया गया तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर 7 पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी । विभागीय कार्रवाई के पश्चात् 3 पदाधिकारियों को विभागीय आदेश संख्या 778 दिनांक

22.11.1999, 777 दिनांक 22.11.99 एवं 779 दिनांक 22.11.99 द्वारा दंडित किया गया एवं 3 पदाधिकारियों के विरूद्ध तकनीकी आधार पर मामला समाप्त किया गया ।

डाइक निर्माण में मिट्टी कार्यो में संवेदक से 14.46 लाख रूपये वसूल करने हेतु मनीसूट का दायर करने 'का भी निदेश विभाग द्वारा दे दिया गया ।

अत: विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की गयी ।

विभागीय आदेश की प्रति

आ.सं. 22/नि.सिं.(रा.-)15-114/97-777 पटना, दिनांक- 22.11.99

आदेश

श्री प्रह्लाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल संख्या-1, सिमडेंगा के अधीन कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में उनके द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जाँच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम 55ए के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 534 दिनांक 5.2.98 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिंह निम्नांकित कारणों से दोषी पाये गये है :-

1. कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में गलत मापी दिखाकर 56,400 घनमीटर मिट्टी कार्य की मात्रा का अधिक भुगतान होना तथा इसके फलस्वरूप कंपैक्शन कार्य मद में भी समानुपातिक अधिक भुगतान होना । जिसके कारण कुल मिलाकर 14.46 लाख रूपये की सरकार को क्षति होना ।
2. कट ऑफ ट्रैंच के कार्य की रिकार्ड इंट्री मापी पुस्त में नही करना ।
3. संवेदक का अंतिम विपत्र ऋणत्मक होना ।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह, कनीय अभियंता को निमनलिखित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :-

1. पूरी क्षति 14.46 लाख रूपये की 20 प्रतिशत यानि 2.89 लाख रूपये की वसूली ! इन राशि की वसूली उनके वेतन से प्रतिमाह वेतन के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी । उनके सेवा काल में पूरा राशि की वसूली नहीं होने पर अवशेष राशि की वसूली उनके पेंशन परिलब्धियों से एक मुश्त में कर ली जायेगी ।
2. अगली किसी भी प्रोन्नति पर तीन वर्षो तक रोक ।

अत: श्री प्रह्लाद सिंह, कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दंड संसूचित किया जाता है ।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

आदेश

श्री महेश्वर प्रसाद शर्मा तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल संख्या-1, सिमडेंगा के अधीन कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में उनके द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जाँच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम- 55ए के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 541 दिनांक 5.2.98 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिंह निम्नांकित कारणों से दोषी पाये गये है :-

1. कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में गलत मापी दिखाकर 56,400 घनमीटर मिट्टी कार्य की मात्रा का अधिक भुगतान होना तथा इसके फलस्वरूप कंपैक्शन कार्य मद में भी

समानुपातिक अधिक भुगतान होना । जिसके कारण कुल मिलाकर 14.46 लाख रूपये की सरकार को क्षति होना ।

2. कट ऑफ ट्रैंच के कार्य की रिकार्ड इंट्री मापी पुस्त में नहीं करना ।

3. संवेदक का अंतिम विपत्र ऋणत्मक होना ।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह, कनीय अभियंता को निमनलिखित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :-

1. 14.46 लाख रूपये की 20 प्रतिशत यानि 2.89 लाख रूपये की वसूली । इन राशि की वसूली उनके वेतन से प्रतिमाह वेतन के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी । उनके सेवा काल में पूरा राशि की वसूली नहीं होने पर अवशेप राशि की वसूली उभके पेंशन परिलब्धियों से एक मुश्त में कर ली जायेगी ।

2. अगली किसी भी प्रोन्नति पर तीन वर्षो तक रोक ।

अतः श्री महेश्वर प्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दंड संसूचित किया जाता है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

आ.सं. 22/नि.सिं.(रा.-)15-114/97-779 पटना, दिनांक- 22.11.99

आदेश

श्री नाथून सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता जलपथ प्रमंडल संख्या-1, सिमडेंगा के अधीन कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में उनके द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जाँच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम- 55ए के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 39 दिनांक 5.2.98 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार के स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिंह निम्नांकित कारणों से दोषी पाये गये हैं :-

1. कंसजोर जलाशय योजना के डाईक निर्माण कार्य में गलत मापी दिखाकर 56,400 घनमीटर मिट्टी कार्य की मात्रा का अधिक भुगतान होना तथा इसके फलस्वरूप कंपैक्शंन कार्य मद में भी समानुपातिक अधिक भुगतान होना । जिसके कारण कुल मिलाकर 14.46 लाख रूपये की सरकार को क्षति होना ।

2. कट ऑफ ट्रैंच के कार्य की रिकार्ड इंट्री मापी पुस्त में नहीं करना ।

3. संवेदक का अंतिम विपत्र ऋणत्मक होना ।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह, कनीय अभियंता को निमनलिखित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :-

1. पूरी क्षति 14.46 लाख रूपये की 20 प्रतिशत यानि 2.89 लाख रूपये की वसूली । इन राशि की वसूली उनके वेतन से प्रतिमाह वेतन के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी । उनके सेवा काल में पूरा राशि की वसूली नहीं होने पर अवशेप राशि की वसूली उनके पेंशन परिलब्धियों से एक मुश्त में कर ली जायेगी ।

2. अगली किसी भी प्रोन्नति पर तीन वर्षो तक रोक ।

अतः श्री नाथून सिंह, कनीय अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दंड संसूचित किया जाता है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश ।

विभागीय उत्तर एवं की गई कार्रवाई से समिति संतुष्ट है, समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) कंडिका-5.5

कंडिका:-5.5: अतिरिक्त सामग्री का निपटारा न होना ।

तिरहुत नहर प्रमण्डल, हाजीपुर द्वारा वर्ष 1979 के पूर्व गंडक परियोजना के नहर निर्माण हेतु लोहे के चादर तथा छड़ खरीदी गई थी जिसमें से कार्य समाप्ति के बाद 72 टन लोहे का चार (मूल्य 5.76 लाख) तथा 69 टन छड़ (4.01 लाख) बचा पाया गया । इसे वर्ष 1979 से भण्डार में रखा पाया गया तथा मार्च 91 तक भी इसकी निपटारा नहीं किया गया जिसके कारण 9.77 लाख रूपये लगभग 12 वर्षो तक निष्क्रिय सामान सूची पर अवरूद्ध रहा ।

विभागीय स्पष्टीकरण

तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत 1979 मे खरीदे गये 72 मे0टन सीट पाईल्स में से 61.217 मे0टन सीट पाईल्स सिंचाई प्रमंडल, गरही को नगद भुगतान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और शेष 10.783 मे0टन सीट पाईल्स अभी बचे हुए है ।

2. प्राप्त हुए रकम को कोषागार में जमा कर दिया गया है ।
3. 69 मे0टन क्रय किये गये लौट छड़ यथावत बचे हुए है ।
4. 1985 के पश्चात् योजना का कार्य पूर्ण रूपेण बंद हो जाने एवं गंडक फेज-2 की स्वीकृति अबतक प्राप्त नही होने के कारण विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित संरचनाओं का निर्माण कार्य नही होने के फलस्वरूप क्रय किये गये सामग्री बचे रह गये ।
5. अत: शेष बचे 10.783 मे0टन सीट पाईल्स एवं 69 मे0टन स्टील रॉड का उपयोग अन्य परियोजनाओं में किया जा रहा है एवं इसे निष्फल व्यय नहीं करा जा सकता है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है ।

ह0/-
दिनांक 06 मार्च 2002

6.3.2002
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा

परिशिष्ट

आदेश

का० आ०सं० 22/कल०सि० देव 11-/113/94 157/पटना, दिनांक 12-6-2000 को श्री शिवनारायण राय, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मिट्टी एवं नीव रूपांतरण अंचल, पटना के रूप में, सम्प्रति मुख्य अभियंता, सेवा नेतृत्व को वर्ष 1990-91 में अजय बराज गेट कार्य से संबंधित काउंटरवेट वाक्स में कंक्रीट के स्थान पर कास्ट आयरन ब्लाक भरने संबधी उनके निर्णय के फलस्वरूप विभाग पर 421.65 लाख रूपये के अतिरिक्त वित्तीय भार पहूंचाने संबंधी आरोपों के लिए, आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या- 1027, दिनांक-16.9.97 द्वारा समीक्षोपरांत निम्नांकित दंड संसूचित किया गया था :-

(क) 307 प्रतिशत पेंशन पर रोक सदा के लिए।

उपरोक्त दंड के विरूद्ध श्री राम सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी. डब्लू.जे.सी. संख्या-8792/99 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9. 5.2000 को पारित न्याय निर्णय में विभागीय आदेश संख्या-1027, दिनांक 16.9.97 को निरस्त कर दिया गया, अतएव माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-1027, दिनांक -16.9.97 को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सरकार द्वारा एल.पी.ए. दायर की जा रही है। सरकार द्वारा दायर किये जा रहे एल. पी.ए. में यदि दंडादेश को बराबर रखने के लिए विभाग सक्षम होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बी.एन.झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 869 पटना, दिनांक 12-6-2000

प्रतिलिपि श्री शिवनारायण राय, सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता, निवास स्थान-मून भिल्ला गांधी नगर पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना/संयुक्त सचिव श्री मुरली मनोहर प्रसाद (प्रबंधन कोषांग) उप सचित (श्री विनय कृष्ण प्रबंधन कोषांग अवर सचिव, स्थापना (श्री शर्मा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी.एन. झा.)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकारः

(जल संसाधन विभाग)

सं. 22/ नि0सि क्षेत्र 11-112/94 1028/ पटना, दिनांक 16.9.97

आदेश :

श्री आर.एन.शर्मा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाइ अंचल, मधुपुर समप्रति सेवानिवृती का वर्ष 1990-91 के प्रत्यापन अवधि में रिनटया प्रखंड के अंतर्ग अजय वराज गेट निर्गत कार्य में अनियमित तरीके से, 105 करोड़ रूपये के अग्रिम भुगतान से संबंधित करने गई अभियंता ने कि गंभीर आरोप पत्र प्रथम दृष्ट प्रमाणित होने पर, विभागीय आदेश यह निर्गत 22/6/91 द्वारा नियमित किया गया एवं विभागीय श्वेत संख्या- 1951 दिनांक 11.7.92 को से सेवानिवृत हो गये। अतएव इनके विरूद्ध बिहार पेंशन निदान उसी के निदान 4 (बी) के अंतर्गत विभागयी कार्यवाहीं चालू रखी गई।

संयुक्त पर्चा धारी के, विभागीय कार्यवही का अं. प्रतक्षेपन प्राप्त हुआ। पदाधिकारी ने अरोप सही पाया एवं उनके जं. समीक्षा कराक के अधीक्षण अभियंता को निम्नकांति कारणों से दोषी पाया गया।

(1) सिंचाई, कार्य नहीं देकर, सिंचाई यांत्रिक, देवघर को

(2) मोकियाइजेसन उचित फार्म में नहीं होना, एग्रीमेंट एवं प्रावधानों के तथा को साम पहुंचने के एवं रिक्योंर्ड एड 96-97 लाख हेना एवं अन्य के लिए फार्म नहीं देना।

(3) मशनरी देना गलत था, क्योंकि साइट पर मशीन नहीं पहुंया था। रिक्योंर्ड भी देना गलत था, क्योंकि मटेरियल साइट पर नहीं पहुंचा था।

(4) मैटेरियल रिक्योर्ड फार्म एफ०आर० 7 में, बांड भरकर देना था, जो नहीं लिया गया।

अत: सरकार द्वारा उपरोक्त प्रमाणित आरोपी के लिए श्री आर के --------अधिक्षण अभियंता को दिनांक 1/1/92 के प्रभा. से निलम्बन से मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 44 (बी) के अंतर्गत निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय किया है:

(1) 20 प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

(2) दिनांक 2/7/92 से दिनांक 21/9/92 तक निलंबन अवधी के लिए जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, लेकिन अत. अविध पेंशन के प्रयोजनागर्त गणना की जायेगी।

तदनुसार श्री आर. के. शर्मा सेवानिवृत अधीक्षक अभियंता को उपरोक्त खंड सूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो. न्याज अहमद)

सरकार के उप सचिव।

सं.-22/नि०सि०(दि०) 11-113/94 पटना, दिनांक।

आदेश :

श्री रवीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर को विभागीय आदेश संख्या 169 दिनांक 206.91 के द्वारा निलंम्बीत किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 1652 दिनांक 11-7-91 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाशी बुलायी गयी। विभागीय कार्यवाही में ये दोषी पाये गये हैं। हम पर अजय बराज गेट में निविदा में हुयी अनियमितताओं में निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये हैं:

(1) मशीनरी एवं सेक्योर्ड एकरारनामा के प्रावधारों के प्रतिकूल देना इससे इनकी आवेदक को नाम पहुंचाने की मंशा स्पष्ट है।

(2) बिना प्रोपर फारपेट लिए अग्रिम देना।

(3) 1.05 करोड़ रूपये का अग्रिम एकरारनामा की तिथि दिनांक 2..2.90 को देना और मशीनरी एडवांस तथा सेक्योर्ड एडवांस रू. 83.97 लाख देना जो एकरारनामा के प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है। इससे संवेदक को लाभ पहुंचाने की इनकी गलत मंशा स्पष्ट है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक 2646 दित्तांक 29.8.97 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (यां. से की गयी। इन्होंने कुछ कामकाजों/ अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु अनरोध किया। तदनुसार विभागीय पत्रांक 3084 दिनांक 25-9-97 द्वारा मु.अ. देवघर काय्र अभि. (यां.) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर को निर्देशित किया गया और इसका सूचंना श्री प्रसाद को भी दी गयी कि वे व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय में सम्पर्क कर अभिलेखों को देखें एवं तत्पश्चात् द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 30.9.97 तक अवश्य दें। परंतु उनसे, जबाब अप्राप्त है।

चूंकि इन पर विभागीय कार्यवाही चली है और उसमें आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। अतः सीमक्षोपरांत सरकार ने इन्हें निम्न दंड सूचित करने का निर्णय लिया गया है-

(क) निंदन (90-91)

(ख) देय तिथि से सात वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

(ग) तीन पेंशन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(20.6.91-13.8.97) में जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा परंतु पेंशन के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।

तदनुसार श्री रवीन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) को उपर्युक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 189 दिनांक 31.10.97

प्रतिलिपि श्री रवीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई, यांत्रिक प्रमंडल, देवघर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, खगोल, पटना/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन कोषांग) प्रशाखा-5,6,12 एवं 22 को सूचनाएं एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

Item No. 2 Court No 5 Section 17

SUPREME COURT OF INDIA

RECORD OF PROCEEDINES

Petition (s) For Special Leave To Appeal (Civil) No. (s) 7046 of 1989 (From the Judgmet and order dated 17-2-89 of the High Court of Judicolms at Patna in Misc. Appeal No. 158 of 1988 State of Bihar & Ors. PETITIONER (S)

VERSUS

M/s Gautam Enterprises Building P.Ltd. RESPONDENTS (S)

(with appln. for ex-parte stay)

Date : 28-9-89: This / These petion (s) was/were called. on for hearing today

CORAM :

Hon'ble Mr. Justice M.H. Kanie

Hon'ble Mr. Justice S. Rangnathan

Hon'ble Mr. Justice K.N. Saikia

For the Petitioners : Mrs. Gyan Sudha Misra. Adv.

For the Respondents :

UPON hearing counsel the Court made the following

ORDER

The special leave petition is dismissed.

(B.P. Bhatt)

Asstt. Registrar-cum-P.S.

<u>पीत पत्र के बदले में</u>

उप सचिव (श्री विनय कृष्ण)
जल संसाधन विभाग।

गै. स. प्रे. सं.-19/लोक-86/95 अंश 770 दिनांक 11.7.2000 के प्रसंग में श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, श्री भूनेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता एवं श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता से संबंधित विभागीय दडादेशों की छाया प्रति एवं संचिका सं. - 22/ नि. सं. (विभा.) डि. 14-104/94 संलग्न 22/नि.सिं. (मुक.) डि.-19-28-98 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कार्रवाई कर संचिका शीघ्र लौटने का कष्ट करेंगे। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री भूनेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता का 29100 रूपये वसुली का दंड तत्काल स्थगित है।

(ज्ञान सिन्हा)

प्रशाखा पदाधिकारी,

निगरानी शाखा (22)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 19-9-97 ई. सं. 22/नि.वि. (विभा.) (डि.-14-104/94 3093 श्री ओम प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, प्रश्पपुर के पदस्थापन अवधि में उनके द्वारा कराये गये कार्यों के विरूद्ध प्राप्त परिवाद का जांच विभागीय उड़नदस्ता दल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवदेन में उन्हें कतिपय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 1015 दिनांक 9.4.94 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध आलेखों के संबंधीत समीक्षोपरांत यह पाया गया कि पश्चिमी गांजी वायां तटबंध के पैन 235 से 285 तथा 277.45 से 280 के बीच बिना कार्य कराये ही संवेदक को कुल रू. 87,324=00 (सतासी हजार तीन सौ चौबीस रूपये का बीगत भुगतान किया गया जिसके लिए श्री सिंह कार्यपालक अभियंता दोषी हैं। जिसके लिए सरकार ने उन्हें दण्डि करने का निर्णय किया है।

अत: सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता को नीचे अंकित दंड संसूचित किया जाता है।

(1) निन्दन जिसका प्रविष्टी उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(2) कुल रू. 29,100/ (उनतीस हजार एक सौ) रूपये वसूली उनके वेतन से प्रति माह रू. 1000/ एक हजार रूपया की दर से की जायेगी, जिसका अंतिम किश्त रू. 1100/ का होगा। यदि पूरा रकम की वसूली उनके सेवावधि में नहीं हो पात है तो शेष बकाये रकम की वसूली उनके सेवानिवृति के उपरांत देय उपादान की राशि से काटकर ली जायेगी। वह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(श्री बी.बी. पाण्डे)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 3023/ पटना, दिनांक 19-9-97 ई.

प्रतिलिपि अधिक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारवाग पटना-7 को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।

(बी.बी. पाण्डे)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं. 22/नि.सि. (विभा.) डि. 14-104/94 715/ पटना, दिनांक 5/8/97 ई.।

आदेश

श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ब्रह्मपुर के पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता की जांच उड़नदस्ता दल द्वारा करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कतिपय अनियमिततओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 1014 दिनांक 9.4.94 द्वारा श्री सिंह, सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के वावजूद भी श्री सिंह सहायक अभियंता का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सरकार के द्वारा मामले की समीक्षा की गई। मामले को सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि पश्चिमी गांगी बायां तटबंध के चेन 235 से 285 तथा 277.45 से 280 के बीच बिना कार्य कराये ही संवेदक को कुल रू. 87,324/00 (सतासी हजार तीन सौ चौबीस) रूपये का बोगस भुगतान कर दिया गया, जिसके लिए श्री सिंह सहायक अभियंता भी उत्तरदायी पाये गये हैं, जिसके कारण सरकार ने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया है।

अत: सरकार के निर्णयानुसर श्री सिंह, सहायक अभियंता को नीचे अंकित दंड संसूचित किया जाता है-

(1) निन्दन की सजा जिसकी प्रविष्ट उनके चारित्री वर्ष 87-88 में किया जायेगा।

(2) कुल रू. 29, 100 (उनतीस हजार एक सौ रूपया) की वसूली उनके वेतन से प्रति माह 1000 एक हजार रूपये की दर से किया जायेगा। अंतिम किशत की राशि रू. 1000 रू. की होगी। यदि पूरी राशि की वसूली उनके सेवा अवधि में नहीं हो पाता है तो शेष राशि की वसूली उनके सेवा निवृति के उपरांत उन्हें देय उपादान की राशि से एक किशत में कर ली जायेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बी:बी. पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक :

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार पटना, दिनांक 1997 वित्त (वयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (श्री हयात) प्रबंधन कोषांक, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियता, जल संसाधन विभाग/ श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, समस्तीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-7,8,12 एवं 22 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं.22/नि.सि. (विभा.) (डि.) 14-104/97 694 पटना, दिनांक 2.8.97

आदेश :

श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ब्रह्मपुर के समक्ष पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता की जांच विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त प्रतिवेदन में कतिपय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक (25) दिनांक 29.4.94 द्वारा श्री सिंह, कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के वावजूद भी श्री सिंह, कनीय अभियंता, का स्पष्टीकरा प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सरकार के द्वारा मामले की गहन समीक्षा की गयी। मामले की सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि पश्चिमी गांगीं बायां तटबंध के चेन 235 से 285 तथा 277.45 से 280 के बीच बिना कार्य कराये ही संवेदन को कुल रू. 87, 324 = 00 सतासी हजार तीन सौ चौबीस रूपये का बोगस भुगतान कर दिया गया, जिसके लिए श्री सिंह, कनीय अभियंता भी उत्तरदायी पाये गये हैं, जिसके कारण सरकर ने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया है।

अत: सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह, कनीय अभियंता को नीचे अंकित दंड संसूचित किया जाता है:

(1) निन्दन का सजा जिसकी प्रविष्ट उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(2) कुल रू. 29, 100 (उनतीस हजार एक सौ रूपया) की वसूली उनके वेतन से प्रति माह 1000 एक हजार रूपये की दर से की जायेगी। अंतिम किश्त की राशि रू. 1100 रू. की होगी। यदि पूरी राशि की वसूली उनके सेवा अवधि में नहीं हो पाता है तो शेष राशि की वसूली उनके सेवा निवृति के उपरांत उन्हें देय उपादान की राशि से एक मुश्त में कर ली जायेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

(बी.बी. पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, अवर सचिव श्री कबीर प्रभारी शाखा 9,10 जल संसाधन विभाग कार्यपालक अभियंता रूपांकण प्रमंडल संख 2 जल संसाधन देवघर, सत्रुध्न प्रसाद सिंह कनिय अभियंता रूपांकण प्रमंडल संख्या 2 जल संसाधन देवघर, प्रसाखा पदाधिकारी 13 एवं 22 जल संसाधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित्

सरकार के उपसचिव।

कैमुर जगमोहन ऑफसेट प्रेस पटना-4 द्वारा मुद्रीत